

वृत्ति-पत्र

११ फरवरी, १९६० ई०

सं० ११-एत-टी/३६-ए-१२१६ (एत-टी)-५९-उत्तर प्रदेश गजट (भाग १), विनांक १ जनवरी, १९६० ई० के पृष्ठ सं० ३२ पर प्रकाशित विनियमित संख्या ६७९७ (एत-एम)/३६-ए-१२१६ (एत-एम)-५९, विनांक २ जनवरी, १९६० ई० में "एपारिटेन्स एन्-जानियर" के स्थान पर शब्द "गुपरिटेन्स इंजीनियर" पढ़िये।

आज्ञा से,
हरीश चन्द्र पांडेय
सचिव।

वन विभाग

विविध

१० फरवरी, १९६० ई०

सं० १११५/१४-३३१-५०-उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय का मत है कि इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट सं० १९२७) की धारा २९ की उपधारा (३) के अधीन अपेक्षित जांच तथा अभिलेख करने में इतना अधिक समय लगेगा कि इस योजना के अधिकारियों को फतवा ही सक्त है।

अतएव उक्त उपधारा के प्रतिबंधक द्वारा और उक्त ऐक्ट की धारा ८०-ए के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (१) द्वारा प्राप्ति अधिकारों का प्रयोग करते उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि इस प्रकार जांच तथा अभिलेख करने के उक्त ऐक्ट के अध्याय ४ के उपधारा संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर लागू होंगे।

अनुसूची

जिला	गांव नाम	कूरी भोल, फुडरिंग और फोडों में	विस्तारण
१-मेरठ रोड	१-मेरठ-बागपत रोड	३ भोल से ३१ भोल २ फ०	भूमि की २ पत्तियों द्वारा की गई है।
	२-बागपत-सहारनपुर	१ भोल से २४ भोल २ फ०	"
	३-बागपत-सीनी-शाहवा	शुभ से १७ भोल २ फ० २६० फीट तक	"
	४-मेरठ-मुआना	२ भोल से १७ भोल	"
	५-मेरठ-मुलकेशहर	२ भोल से २९ भोल तक	"
	६-डी० आर० एम० रोड	४१ भोल से ५५ भोल	"
	७-डी० टी० रोड	८७० भोल से ८७३ भोल	"
	८-बागपत-बनसडीकरी	१ भोल से ६ भोल	"
	९-मरावतनगर रेलवे	शुभ से २ फ० १०६ फीट तक	"
	१०-मोदीनगर-रेलवे फोडर	शुभ से ६४० फीट तक	"
	११-मोदीनगर-रेलवे फोडर	शुभ से ४ फ० १० फीट तक	"
	१२-मेरठ-सवरना रोड	२.४२६ से १२.३.३२०	"
	१३-पुरेल-सवरना रोड	०.०.० से ६.४.२६०	"
	१४-मुलकेशहर-सेनागढ़ रोड	२३ भोल से ३१ भोल ३ फ० २०० फीट तक	"
	१५-मरीट-सपरीली	१ से ९ भोल	"
	१६-मेरठ-अरेली रोड	२३ भोल से ३१ भोल ३ फ० २०० फीट तक	"
	१७-नेशनल हाईवे रोड नं० २४	२८ भोल ६ फ० से ८ फ० तक ३ भोल १ फ० से ३ फ० तक	"
	१८-डी० टी० रोड-गाजीपुर से उत्तर प्रदेश पाऊंडर	८७४ भोल ५४८ फ० से ८७९ भोल २ फ० ७० फीट तक	"
	१९-गाजीपुर-हापुर रोड	१ भोल से २१ भोल ६ फ० २४९ फीट तक	"
	२०-हापुर रोड	१ भोल ४८४ फीट से १९ भोल ४ फ० ७० फीट तक	"
२-मुजफ्फरनगर	१-डी० आर० एम० रोड	५६ भोल से ९१ भोल	"
	२-अतीजी-जनसंघ-पितापुर-बिजनीर	२४ भोल ६ फ० से २ भोल ३१ फीट तक	"
	३-मुजफ्फरनगर-शामली-करीमा	२ भोल से ३१ भोल	"
	४-मुजफ्फरनगर-सहारनपुर	७७ भोल से १० भोल	"
	५-मुजफ्फरनगर-बिजनीर	७७ भोल से २१ भोल तक	"
	६-सीनी-रफोराताल	४५ भोल से ३ भोल तक	"
	७-मुजफ्फरनगर-पूयमा-रोड	७ भोल तक	"
	८-मुजफ्फरनगर-बागपत-सहारनपुर रोड	२४ भोल से ५३ भोल ३ फ० तक	"

क्रमा	नाम सड़क	दूरी मील, फ० और फिटों में
३५-जीमपुर	१-लखनऊ-बनारस रोड	मी० १२५ से मी० १७६ तक
	२-बाबसाहपुर रेलवे फीडर रोड	शून्य से २ फ० २४५ फीट तक
	३-साइने बाजार नयीगंज-बाईपास रोड	१ मील ३ " २६६ "
	४-मिर्जापुर-जीमपुर रोड	२५ " १ " १०७ "
	५-लखनऊ-बलिया रोड	१८ " ४ " १३६ "
	६-जीमपुर-शाहगंज-अकबरपुर-बेलबई तक	२९ " ६ " ४४० "
	७-इलाहाबाद-गोरखपुर रोड	९ " १ " ४९१ "
	८-मछलीसहा-जंघई रोड	१२ "
	९-जीमपुर-प्रतापगढ़ रोड	२४ " से २७ मील ६ फ० ५६० फीट तक
	१०-बालसराय-दीवारगंज रोड	शून्य से ६ मील ५ फ० १५० "
	११-अकबरपुर-जंघई लिफ रोड	" " १ " ३ " ४४० "
	१२-शाहगंज-सकुलिया रोड	" " ७ " ३ " ४८० "
	१३-जीमपुर रेलवे स्टेशन रोड	" " ७ फ० २८० फिट तक
	१४-मिर्जापुर बाबा सा० सा० ट्रेक	४ फ० ७३ फिट से ७ फ० २० फिट तक
	१५-सरायपाल-पचाई रोड	शून्य से ४ मील ४ फ० ५०९ "
	१६-मुफ्फरपुर लिफ रोड	" " २ फ० १२१ "
	१७-मंठू रेलवे फीडर रोड	" " १ " ४४० "
	१८-बनारस-आजमगढ़ रोड	" " २३ मील १ फ० ४९१ "
३६-बनारस	१-बनारस-बलिया रोड	मील १ से मील ४ तक
	२-साराय रोड	१ मील ३ फ० तक
३७-प्राज्ञीपुर	१-बनारस-बलिया रोड (एच० डी०)	२० से ४७ मील तक
	२-प्राज्ञीपुर-पीरवापुर रोड (एच० डी०)	६५ से ८५ मील तक
	३-बनारस-बलिया रोड पी० (एच० डी०)	४७ से ७० मील तक
	४-मुफ्फरपुर रोड	१ से २ (फ० २) तक
	५-मंठू-साराय-कसीबाबाद रोड	२ से १४ मील तक
	६-साराय-जीवा रोड	१ से १/२ मील तक
	७-मोमती ब्रिज	३ से ७ मील ४ फ० तक
	८-जीवा रोड	"
	९-सबरंजा-फाज्ञीपुर रोड	१५ से ३२ मील तक
	१०-मिर्जापुर-रायट गंज रोड	१ से २७ मील तक
	११-नारायणपुर-अहरोरा रोड	१ से १३ मील तक
	१२-म० जी०-जी० टी० रोड	४२३ से ४७७ मील तक
	१३-मिर्जापुर-दीवा रोड	१ से ४३ मील तक
	१४-मिर्जापुर-चोपरा रोड	१ से ६ मील तक
३८-मिर्जापुर	१-मिर्जापुर-रायट गंज रोड	मील १ से मील २७ तक
	२-नारायणपुर-अहरोरा रोड	मील १ से मील १३ तक
	३-एच० जी० जी० टी० रोड	मील ४२३ से मील ४७७ तक
	४-मिर्जापुर-दीवा रोड	मील १ से मील ४३ तक
	५-मिर्जापुर-चोपरा रोड	मील १ से मील ६ तक

Project Director
National Highways Authority of India
PIU-Varanasi

Project Director,
National Highways Authority of India
PIU-Varanasi

परिशिष्ट - 1.4 क्रमशः

25 जनवरी 1979

संख्या-- 8109/चौदह-- 2-503-77 भारतीय वन अधिनियम 1927 (अधिनियम संख्या 16, 1927) के धारा-29 के अधीन शक्ति का और इस निम्नलिखित अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित उत्तर प्रदेश राज्य में रेलवे के दोनों तरफ के सारकारी वन या बंजर भूमि की पट्टियों को, चाहे उन पर वृक्ष लगे हों, या नहीं, संरक्षित वन घोषित करते हैं तथा उन पर उक्त अधिनियम के अध्याय--4 धारा--68 के उपबन्ध लागू होंगे।

अनुसूची

पट्टी का नाम	विवरण और स्थिति
रेलवे	प्रबन्ध के लिये वन विभाग को अन्तरिम पूर्वोत्तर रेलवे के निम्नलिखित स्टेशन के रेलवे ट्रैक और स्टेशन यार्ड से लगी हुई भूमि।

वाराणसी मण्डल

- 1 भटनी से गोरखपुर छावनी
- 2/ भटनी से वाराणसी।
- 3 वाराणसी से इलाहाबाद सीटी।
- 4 वाराणसी से इलाहाबाद सीटी
- 5 गोरखपुर से छावनी से तिनफूरिया (हाल्ट लूप)
- 6 औडिहार जंक्शन से बकुलहा
- 7 छिलौनी से कप्तानगंज
- 8 सलेमपुर से बरहज बाजार
- 9 इन्दारा से दोहरीघाट
- 10 मऊ जंक्शन से शाहगंज
- 11 फेफना से इन्दारा
- 12 औडिहार से जीनपुर
- 13 माधोसिंह से चिल्हा

परिशिष्ट - 11.2

संरक्षित वन घोषित रेलपथ पटरियों का विवरण

सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर के अन्तर्गत निम्न लिखित रेलपथ पटरियां संरक्षित वन घोषित हैं -

क्र.सं०	क्षेत्र का नाम	किमी० संख्या जो संरक्षित वन घोषित है		विज्ञप्ति संख्या
		किमी० से	किमी० तक	
2		3	4	5
	जफराबाद-फैजाबाद जं०	823	874	104 / xiv-2-503-77 दिनांक 09.05.1977
	जंघई-प्रतापगढ़ जं०	0	47	104 / xiv-2-503-77 दिनांक 09.05.1977
	जंघई-प्रतापगढ़ जं०	0	870	104 / xiv-2-503-77 दिनांक 09.05.1977
	वाराणसी-जफराबाद जं०	800	823	3559(2) / xiv-2-503-77 दिनांक 22.06.1978, (उ०प्र०गजट, भाग-1 में दिनांक 15.07.1978 को प्रकाशित)
	जफराबाद-सुल्तानपुर जं०	823	870	---
	वाराणसी-प्रतापगढ़ जं०	837	870	---
	मौड़िहार-जौनपुर जं०	9	58	8109 / xiv-2-503-77 दिनांक 25.01.1979
	मऊ-शाहगंज जं०	83	98	8109 / xiv-2-503-77 दिनांक 25.01.1979
